

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक:- प.11(3)117/मो./ICDS/2016/157001-157001 जयपुर, दिनांक:

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

24.11.16

विषय:-प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविरों में किये जाने वाले कार्यों की अग्रिम तैयारी एक दिन पूर्व करने एवं कार्यों की नियमित समीक्षा कर प्रभावी मोनेटरिंग करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण आयोजित पंचायत शिविरों में किये जाने वाले विभागीय कार्य निम्नानुसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।

1. पंचायत शिविरों में किये जाने वाले कार्यों की अग्रिम तैयारी एक दिन पूर्व ही करली जावें ताकि शिवर के दौरान विभाग की सक्रिय भागीदारी निर्वहन हो सके।
2. शिविर के दौरान पूर्व में आयोजित शिविरों के कार्यों का फालोअप भी किया जावें।

समस्त उप निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि पंचायत शिविरों की मोनेटरिंग व कार्य सम्पादन हेतु ब्लाक स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी व पर्यवेक्षकों को भी उपरोक्तानुसार निर्देशित करें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यों को शिविरों में सम्पादित कराते हेतु अपने स्तर पर समीक्षा कर प्रगति की संकलित सूचना प्रत्येक शुक्रवार को सांयकाल 6 बजे तक पंचायत राज विभाग को प्रेषित करते हुए jdm.wcd@rajasthan.gov.in ई-मेल पर निदेशालय को भी प्रति भिजवाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक: 24.11.16

क्रमांक:- प.11(3)117/मो./ICDS/2016/157002-310

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, मबावि राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।

संयुक्त निदेशक (मों.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर